राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–479/2023

उर्मिला (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेजे201723027992)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.01.2023
आदेश की दिनांक : 31.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पूनिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी फार्मासिस्ट के पद पर पीएचसी, माणकसास, उदयपुरवाटी, झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन उप जिला चिकित्सालय जायल, नागौर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवलमात्र राजनैतिक उद्येश्य से किया गया है, जो गलत है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थीया एकल महिला है तथा राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार एकल महिला को उसकी इच्छा के स्थान पर या उसके निकट पदस्थापित किया जाना चाहिए। परंतु उक्त स्थानांतरण आदेश में 400 किमी. दूर स्थानांतरण किया गया है, जो गलत है। उनका आगे यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीया ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से ग्रसित है, जिसका निरंतर इलाज चल रहा है। अपीलार्थीया के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को पदस्थापित नहीं किया गया है, उसके पद को खाली रखा गया है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह

स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीया एकल महिला है तथा ब्रेन ट्यूमर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित है। जिसका ईलाज चल रहा है। ऐसे में स्थानांतरण से अपीलार्थीया को प्रथम दृष्टया असुविधा होना स्वाभाविक प्रकट होता है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 6 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)